बिहार सरकार

पथ निर्माण विभाग

संचिका संख्या–09/निधि–स्कीम(0206–के0 स0 नि0)–02–05/2026 113(5)WCR पटना, दिनांक–05/11/2026

सेवा में,

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पथ निर्माण विभाग (मु0),
कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल,
पथ निर्माण विभाग, (आवंटन विवरणी के अनुसार)।

विषय :– माँग सं0–41 के मुख्य शीर्ष 5054– सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय उप मुख्य शीर्ष –03 राज्य राजमार्ग, लघु शीर्ष–337– सड़क निर्माण कार्य, उप शीर्ष–0206 – केन्द्रीय सड़क निधि, विपत्र कोड– 41–5054033370206, विषय शीर्ष– 0206.53.01– मुख्य निर्माण कार्य के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2026–27 में व्यय हेतु निधि का आवंटन।

आदेश :– चालू वित्तीय वर्ष 2026–27 में आवंटन विवरणी के स्तम्भ– 6 में अंकित पत्र के आलोक में संबंधित पथ प्रमंडलों को स्तम्भ–4 में अंकित राशि के अनुसार कुल **₹ 134,15,00,000/– (एक सौ चौतीस करोड़ पन्द्रह लाख रूपये)** मात्र आवंटन किया जाता है। इस आवंटन सहित संबंधित निगम / पथ प्रमंडलों को आवंटन विवरणी के अनुसार वर्ष 2026–27 में कुल आवंटित राशि स्तम्भ सं0–5 के अनुसार हो जायेगी।

2. यह व्यय पथ निर्माण विभाग के आय–व्यय 2026–27 के बजट में केन्द्रीय सड़क निधि के लिए उपबंधित राशि से वहन किया जायेगा।
3. यह व्यय माँग सं0–41 के मुख्य शीर्ष–5054 – सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय उप मुख्य शीर्ष–03– राज्य राजमार्ग– लघु शीर्ष–337 –सड़क निर्माण कार्य, उप शीर्ष–0206 –केन्द्रीय सड़क निधि, विपत्र कोड– 41–5054033370206, विषय शीर्ष– 0206.53.01– मुख्य निर्माण कार्य के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2026–27 में बजट उपबंधित राशि से विकलनीय है।
4. यह आवंटन आदेश वित्त विभाग के परिपत्र सं0– 2561/वि॰(2) दिनांक– 17.04.1998, पत्रांक– 236/ वि॰, दिनांक– 09.03.2026 एवं पत्रांक–314 /वि॰ दिनांक–01.04.2026 में दिये गये निदेश के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।
5. प्रमंडल / निगम/ कार्यालय द्वारा आवंटित राशि को स्वीकृत योजना के प्रशासनिक स्वीकृत्यादेश के विरूद्ध वित्त विभाग के पत्रांक–एम0–4–53/2007–6439 दिनांक–28.08.18 एवं अन्य संबंधित विभागों द्वारा समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देश के आलोक में ही व्यय की जाय।
6. आवंटित राशि का व्यय नियमानुसार CFMS के माध्यम से किया जायेगा।
7. यह व्यय प्रशासनिक स्वीकृति की राशि से अवश्य समाविष्ट होनी चाहिए।
8. आवंटित राशि से अधिक व्यय किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाय तथा अतिरिक्त दायित्व का सृजन भी किसी परिस्थिति में नहीं किया जाय। आवंटित राशि से अधिक व्यय के लिए आप पूर्ण रूपेण उत्तरदायी होगें। प्रत्येक माह में स्वीकृत परियोजनाओं पर हुए व्यय का मासिक व्यय विवरणी योजनावार अनिवार्य रूप से विभाग को उपलब्ध कराया जाए।
9. आवंटित राशि से निर्माण कार्य में व्यवहृत विभागीय सामग्रियों के व्यय को शामिल करते हुए नियमानुसार राशि का व्यय किया जाय।
10. आवंटन विवरणी के क्रम सं0–1 के लिए आवंटित राशि को निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पथ निर्माण विभाग (मुख्यालय), बिहार, पटना CFMS के माध्यम से बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना को पटना कोषागार, पटना स्थित पी॰एल॰ खाता संख्या– 242 (old), जमा खाता नं0– PTCPLA011, विपत्र कोड– K8448001200018 में पुस्त अंतरण हेतु कोषागार को प्रेषित करेंगे।

11. चालू वित्तीय वर्ष 2026–27 में आवंटित राशि से बचत राशि का प्रत्यार्पण **दिनांक–15.02.2027** तक निश्चित रूप से कर दिया जाय।

12. प्रस्ताव पर सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।

13. आवंटित राशि की सूचना महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना / वित्त विभाग, बिहार, पटना को दी जा रही है।

(अंजनी कुमार)
मुख्य अभियंता (बजट एवं योजना),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

(दीपेश कुमार)
संयुक्त सचिव (प्र0को0),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञाप संख्या–9/निधि–स्कीम(0206–के0 स0 नि0)–02–05/2026 1135 **पटना, दिनांक–** 05/11/2026

प्रतिलिपि :– महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना / वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना / सचिव कोषांग पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना / सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी /सभी संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त / सभी संबंधित जिला पदाधिकारी / अभियंता प्रमुख कोषांग, पथ निर्माण विभाग, पटना / प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि0, पटना / मुख्य अभियंता (अनु0), पथ निर्माण विभाग / मुख्य अभियंता (बजट एवं योजना), पथ निर्माण विभाग, पटना / संयुक्त सचिव (प्र0को0), पथ निर्माण विभाग / अधीक्षण अभियंता (बजट), प0नि0वि0 / कार्यपालक अभियंता (बजट), प0नि0वि0 /अवर सचिव (बजट), प0नि0वि0 / आई॰टी॰ मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना / प्रशाखा पदाधिकारी–9 एवं प्रशाखा पदाधिकारी (लेखा), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अंजनी कुमार)
मुख्य अभियंता (बजट एवं योजना),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

(दीपेश कुमार)
संयुक्त सचिव (प्र0को0),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

आवंटन विवरणी

संचिका संख्या–9/निधि–स्कीम(0206–के0 स0 नि0)–02–05/2026 1135 **पटना, दिनांक–** 05/11/2026

(राशि रू0 में)

क्रम सं0	प्रमंडल / कार्यालय का नाम (जिन्हें आवंटन दिया जा रहा है)	शीर्षान्तर्गत पूर्व आवंटन	वर्त्तमान आवंटन	कुल आवंटन	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पथ निर्माण विभाग (मु0) के माध्यम से बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि0, पटना के लिए	0	100,00,00,000	100,00,00,000	2653 / 08.10.2026
2	कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, कोचस	3,50,00,000	15,00,000	3,65,00,000	1546/ 15.10.2026/
3	कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, सोनपुर	10,00,00,000	10,00,00,000	20,00,00,000	1883 / 13.10.2026

05

आवंटन विवरणी

संचिका संख्या–9/निधि–स्कीम(0206–के0 स0 नि0)–02–05/2026 पटना, दिनांक–

(रा।शि रू0 में)

क्रम सं0	प्रमंडल / कार्यालय का नाम (जिन्हें आवंटन दिया जा रहा है)	शीर्षान्तर्गत पूर्व आवंटन	वर्त्तमान आवंटन	कुल आवंटन	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
4	कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल सं0–1, मुजफ्फरपुर	12,00,00,000	10,00,00,000	22,00,00,000	2899 / 14.10.2026
5	कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, नवादा	0	4,00,00,000	4,00,00,000	1034 / 23.10.2026
6	कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, ढाका	10,00,00,000	10,00,00,000	20,00,00,000	1139 / 15.09.2026
	वर्त्तमन आवंटन का योग	**35,50,00,000**	**134,15,00,000**	**169,65,00,000**	
वर्तमान आवंटन का योग (शब्दों में) एक सौ चौतीस करोड़ पन्द्रह लाख रूपये मात्र।					

(अंजनी कुमार)
मुख्य अभियंता (बजट एवं योजना),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

(दीपेश कुमार)
संयुक्त सचिव (प्र0को0),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।